



Neutral Citation No. - 2026:AHC:38793

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या 6876/2026

सुनील कुमार बरनवाल

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 11 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : मानवेंद्र नारायण पाठक

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या- 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रत्यर्थीगण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/उप-जिलाधिकारी, देवरिया को वाद संख्या 2607/2025 (सुनील बरनवाल बनाम जय प्रकाश बरनवाल एवं अन्य) को शीघ्रतापूर्वक विनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए।
3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में विशेष इजाज़त याचिका (सिविल) संख्या 38375/2023 (मोहम्मद फैयाज खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में दिनांक 27.09.2023 को एक आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि जब तक परिस्थिति असाधारण न हो, न्यायालय को किसी भी न्यायालय को किसी लंबित वाद को समयबद्ध रूप से विनिश्चित करने का निर्देश नहीं देना चाहिए। दिनांक 27.09.2023 का आदेश निम्नानुसार उद्धृत किया जाता है: -

"याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जब तक परिस्थिति असाधारण न हो, इस न्यायालय को किसी संवैधानिक न्यायालय अथवा किसी भी न्यायालय को किसी लंबित वाद को समयबद्ध रूप से विनिश्चित करने का निर्देश नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जो लोग इस न्यायालय में आने का सामर्थ्य रखते हैं उन्हें प्राथमिकता मिले और अन्य प्रतीक्षा करते रहें।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत हमारी अधिकारिता के प्रयोग में हस्तक्षेप का कोई वाद नहीं बनता है। विशेष इजाजत याचिका तदनुसार विलंब के आधार पर तथा गुण-दोष पर भी खारिज की जाती है।

याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता है कि वह वाद की शीघ्र सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन करे।

लंबित आवेदन/आवेदन भी निस्तारित होते हैं।"

4. अभिलेख के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि संपूर्ण याचिका में यह नहीं कहा गया है कि कोई असाधारण परिस्थिति विद्यमान है और न ही याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में कोई तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 को उक्त वाद को समयबद्ध रूप से विनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए, सिवाय इस तथ्य के कि वाद वर्ष 2025 से लंबित है।

5. इस मामले को देखते हुए, न्यायालय का मत है कि याचिकाकर्ता को कोई अनुतोष अनुदत्त नहीं किया जा सकता और वर्तमान याचिका खारिज की जाती है।

6. तथापि, अगर न्यायालय से अपेक्षित है कि वह उक्त वाद को **विधि के अनुसार** और जब तक कोई विधिक अड़चन न हो, किसी भी पक्षकार को अनावश्यक स्थगन दिए बिना विनिश्चित करे।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)

20 फ़रवरी, 2026

शकलैन